प्रेसनोट
दिनांक 21.11.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान बस अड्डा के निकट भांग की दुकान से अभियुक्त अजय कुमार पुत्र जंग बहादुर यादव गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 29.09.2025 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अविनाश सिंह चौकी प्रभारी मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे, इसी दौरान सूचना पर पुलिस द्वारा बस अड्डा के निकट भांग की दुकान से अभियुक्त अजय कुमार पुत्र जंग बहादुर यादव गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 932/2025 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अजय कुमार पुत्र जंग बहादुर यादव नि0- रोटी गांव थाना- जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 932/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01- 500 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अविनाश सिंह चौकी प्रभारी रोडवेज
02. का0 राहुल गोंड
03. का0 दिवस हलदार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 21.11.2025
जनपद – गोण्डा

यातायात माह नवंबर-2025 के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "यातायात माह नवंबर-2025" के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 21.11.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार राय, प्रभारी यातायात श्री जगदंबा गुप्ता, टी0एस0आई0 श्री राकेश कुमार, आरक्षी योगेश कुमार, आरक्षी संदीप यादव, होमगार्ड काशीराम, होमगार्ड दिनेश चंद पाण्डेय द्वारा गीता इंटरनेशनल इंटर कॉलेज, गोण्डा में लगभग 300 छात्र-छात्राओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, सड़क पार करने की सावधानियाँ, ओवरस्पीडिंग के दुष्परिणाम, नशे में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने सहित विभिन्न यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों को यातायात नियमों से संबंधित पम्पलेट वितरित किए गए तथा उन्हें सुरक्षित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।

महत्वपूर्ण संदेश – सड़क सुरक्षा के लिए पालन करें ये नियम

1. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
2. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
3. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
4. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
5. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना एवं निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दंडनीय अपराध है।
6. दाएँ-बाएँ मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।
7. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएँ।
8. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
9. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएँ।
10. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहन को पहले रास्ता दें।
11. नशा कर वाहन बिल्कुल न चलाएँ।
12. सड़क पर खतरनाक स्टंट न करें।
13. दुर्घटना की स्थिति में घायल की मदद करें एवं तुरंत 112 पर सूचना दें।

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा यातायात माह के दौरान इसी प्रकार सड़क सुरक्षा एवं नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किए जा रहे हैं।

मीडिया सेल, गोण्डा।